

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(476/41)2021/एफसीए/प्रमुखसं/
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

दिनांक

विषय:- Diversion of 0.0244 ha. forest land in favour of Nayara Energy Ltd. for Construction of Approach Road For Proposed Nayara Energy Ltd. (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Palsana to Sikar Road NH 52 (Old NH-11RHS) at KM Stone Chainage No. 336+319 to 336+354 on old Khasra No. 900/504 & new khasra No. 963/962 at village -Kaharo Ki Dhani Tehsil- Sikar, Dist. Sikar, Rajasthan. (Proposal No.-FP/RJ/Road/143717/2021)

सन्दर्भ:-राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(57)वन/2021 दिनांक 17.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(57)वन/2021 दिनांक 17.11.2021 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Diversion of 0.0244 ha. forest land in favour of Nayara Energy Ltd. for Construction of Approach Road For Proposed Nayara Energy Ltd. (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Palsana to Sikar Road NH 52 (Old NH-11RHS) at KM Stone Chainage No. 336+319 to 336+354 on old Khasra No. 900/504 & new khasra No. 963/962 at village -Kaharo Ki Dhani Tehsil- Sikar, Dist. Sikar, Rajasthan. (Proposal No.-FP/RJ/Road/143717/2021) हेतु 0.244 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति जारी की गई है। अतः आलौच्य प्रकरण में समस्त शर्तों की पूर्ति की पालना सुनिश्चित करावे इसके उपरांत प्रकरण में संबंधित विभाग/संस्था को वनभूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावे।

उप वन संरक्षक सीकर द्वारा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण को पत्रांक 12260-63 दिनांक 23.11.21 से विधिवत् स्वीकृति की पालना की अंडरटेकिंग लेते हुए कार्यानुमति दी है तत्पश्चात पुनः पत्रांक 12376-80 दिनांक 25.11.2021 से प्रकरण में पालना हेतु लिखते हुए, इस कार्यालय की अनुमति के बिना ही, कार्यानुमति हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को लिखा है व प्रति आपको भी पृष्ठांकित की है जो कि पूर्वानुसार की जा रही कार्यवाही अनुसार, गलत है। अतः उप वन संरक्षक, को पावद करें कि बिना इस कार्यालय की जानकारी/अनुमति के बैगर इस प्रकार की कोई कार्यवाही भविष्य में न करें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,



(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(476/41)2021/एफसीए/प्रमुखसं/

3660-64 दिनांक 14.12.21

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उपप्रो)
2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1(57)वन/2021 दिनांक 17.11.2021 के क्रम में।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (आई.टी.) अरण्य भवन, जयपुर को राज्य सरकार, वन विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 17.11.2021 (प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें व मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
5. वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर मण्डल कार्यालय, प्रथम तल एलआईसी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II, अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (57) वन/2021

जयपुर, दिनांक:- 17 NOV 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0244 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd. Jaipur for "Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Palsana to Sikar Road NH-52 (Old NH-11, RHS), At KM Stone Chainage No. - 336-319 to 336-354 on Old Khasra No. 900/504 & New Khasra No. 963/962, At Village - Kaharo Ki Dhani, Tehsil - Sikar, District - Sikar (Rajasthan)" (FP/RJ ROAD1437172021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (476/41)2020/एफसीए/प्रमुख/2951 दिनांक 22.10.2021

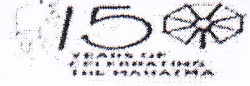
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में में स्टोन नम्बर- 336-337 (Chainage : 336+319-336+354) खसरा नम्बर 900/504 और नया खसरा नं 963/962, केहरो की ढाणी, तहसील सीकर जिला सीकर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0244 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस काम में इस कार्यालय के सभसंख्यक पत्र दिनांक 13.07.2021 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14 (476/41)2020/एफसीए/प्रमुख/2951 दिनांक 22.10.2021 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.0244 ha. forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd. Jaipur for "Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Palsana to Sikar Road NH-52 (Old NH-11, RHS), At KM Stone Chainage No. - 336-319 to 336-354 on Old Khasra No. 900/504 & New Khasra No. 963/962, At Village - Kaharo Ki Dhani, Tehsil - Sikar, District - Sikar Rajasthan की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

Principal/ Approval diversion/secy.forest/floder ajay goyar



7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देश की पालना करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 13.09.2021 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(Signature)

(वी. प्रवीण)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या सी-405 एवं सी-406, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, सीकर
6. प्रादेशक प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टैरीटरी कार्यालय एवं भारतगैस संयंत्र रोड न. 14, विश्वकर्मा आद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302013
7. रक्षित पत्रावली।

//

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी